पुस्तकालय

सत्यमेव जयते

3158 (1)
20/4/11

असंशोधित

30 MAR 2011

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 1–कार्यवाही–प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन शाखा
गै०स०प्र०सं० 803 तिथि 20/4/11

टर्न-26/सत्येन्द्र/30-3-11

श्री श्याम बिहारी प्रसाद(क्रमशः) चूंकि 1 हजार हे0 से कम जमीन है इसलिए उन्होंने कहा कि लघु सिंचाई विभाग में भेजा जा रहा है,तो मैं जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से ,उत्तर तो स्पष्ट है जल संसाधन विभाग से आ ही गया है, इसमें जवाब हमको मिलना चाहिए कि अगले वित्तीय वर्ष में बनाना चाहते हैं इसको या नहीं?

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री श्याम बिहारी जी,सरकार ने स्पष्ट तौर पर इस संदर्भ में कहा कि आपको इसका जवाब भिजवा दिया जायेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या-ग-1692

श्री विजय कुमार चौधरी(मंत्री): महोदय,वस्तु स्थिति यह है कि कार्यपालक अभियंता,पश्चिमी कोशी नहर खुटौना, मधुबनी के सूचना के आलोक में भूअर्जन वाद संख्या 5/88-89 के द्वारा ग्राम -भजनाहा, थाना-फुलपरास,जिला मधुबनी के दक्षिणी गायक बांध निर्माणार्थ वर्ष 88-89 में 20.20 एकड़ भूमि का अर्जन किया गया था जिसका पुराना खेसरा नं0 1369 नया खेसरा नं0-2099 है इस अधिग्रहण से मुआवजा के भुगतान संबंधी कार्रवाई किया जा चुका है, श्री चैत लाल भिंडरवार,श्री कृष्णदेव भिंडरवार, पिता स्व0 सुवालाल भिंडरवार, ग्राम एकमा,पो0 वसनिया भाया लौकहा, जिला मधुबनी की भूमि इस योजना से अर्जित नहीं हुई है इसलिए इन्हें मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है।

2-उपरोक्त खंड के उत्तर में सन्निहित है।

श्री भाई वीरेन्द्रः महोदय,हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि सरकार 23 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति का जमीन अधिकृत की थी और उसका अभी तक भुगतान नहीं कर पायी है सरकार इसलिए सरकार इसका भुगतान कबतक करेगी?

श्री विजय कुमार चौधरी(मंत्री): महोदय,शायद माननीय सदस्य ने ठीक से उत्तर सुना नहीं, हमने कहा कि जिनकी भूमि अर्जित की गयी थी, उनके मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है और उसी खाता, खेसरा के तहत जिन लोगों की भूमि ली गयी थी और मुआवजे का भुगतान किया गया है, उनसे संबंधित लगभग 20 लोगों की सूची उसी गांव की मेरे पास उपलब्ध है जिनको जितनी राशि मुआवजा के रूप में दी गयी है वो भी मेरे पास है, सरकार ने जांच में यह पाया है कि जिन दो व्यक्तियों का नाम ये बतला रहे हैं श्री चैत लाल भिंडरवार और श्री कृष्णदेव भिंडरवार, सरकार के रेकर्ड के मुताबिक इन लोगों की जमीन ली ही नहीं गयी है इसलिए इनका भुगतान नहीं हो पाया है।

तारांकित प्रश्न संख्या- घ-1700

श्री हरि प्रसाद शाह(मंत्री): अध्यक्ष महोदय,नगरविकास विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी(नेता विरोधी दल):अध्यक्ष महोदय,हमको लगता है सरकार गम्भीरता से माननीय सदस्यों के प्रश्न को नहीं लेती है। यह प्रश्न भी स्थगित है और यह प्रश्न भी स्थानांतरित है और फिर ये स्थानांतरित कर रहे हैं तो पहले सरकार बैठकर दोनों विभाग के मंत्री सुनिश्चित तो कर लें कि किस विभाग को जवाब देना है।

टर्न-26/सत्येन्द्र/30-3-11

अध्यक्ष: सरकार इस संबंध में माननीय सदस्य को जो जवाब होगा भिजवा देगी।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा: अध्यक्ष महोदय,क्या हुआ, मैं नहीं समझ रहा हूँ..

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी आपके प्रश्न के जवाब को, भेजवा देंगे आपके पास।